



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना कोतवाली नगर व सर्विलांस टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज आवास में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को किया गया गिरफ्तार ।
- ❖ अभियुक्त के कब्जे से चोरी के लगभग 11 लाख रुपए कीमत के सामान व 4160 रुपए नगद बरामद । अभियुक्त द्वारा सुनियोजित तरीके से दिनांक 18/19.08.2026 की रात्रि को मेडिकल कॉलेज बांदा में चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम ।
- ❖ अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल व बड़े-बड़े सुनसान इलाके के आवासों में चोरी की घटनाओं को दिया जाता था अंजाम ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा चोरी करने वाले एक अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को करीब 11 लाख रुपए चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज बांदा के निवासी डॉ विकास द्वारा दिनांक 19.08.2026 अपने सरकारी आवास में चोरी हो जाने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था । जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी , सीसीटीवी व भौतिक साक्ष्यों का अवलोकन से अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त राजेश पुत्र कालू निवासी ग्राम गुराडिया थाना टांडा जनपद धार मध्य प्रदेश को झांझरा वाले जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से लगभग 11 लाख अनुमानित कीमत के चोरी के दो टंच माल व नगदी बरामद की गई है । पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 18/19.08.2026 की रात्रि को वह अपने सगे भाई सुमल पुत्र कालू ने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर बाउंड्री फांदकर दो जगह कुंडी तोड़कर दो आवासों में चोरी की थी । कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वे सभी मिलकर विभिन्न राज्यों में मेडिकल कॉलेज ,हॉस्टल व बड़े बड़े सुनसान इलाके में स्थित आवासों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं । पुलिस द्वारा इस संबंध में और गहनता से जांच की जा रही है कि इसके द्वारा और कितने स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है । साथ ही इसके अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं ।

बरामदगी-

- 02 टंच वजन 74 ग्राम (पीली धातु)
- 01 अदद् छल्ला (सफेद धातु)
- 01 साड़ी पिन
- 02 ज्वेलरी बैग
- 4160 रुपए नगद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश पुत्र कालू निवासी ग्राम गुराडिया थाना टांडा जनपद धार मध्य प्रदेश ।

वांछित/फरार अभियुक्त-

1. सुमल पुत्र कालू निवासी ग्राम गुराडिया थाना टांडा जनपद धार मध्य प्रदेश ।
2. शंकर पुत्र कुंदन निवासी ग्राम गुराडिया थाना टांडा जनपद धार मध्य प्रदेश ।
3. भीलू पुत्र मोटला निवासी ग्राम बड़ी कदवाल थाना बोरी जनपद अलीराजपुर मध्य प्रदेश ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 416/26 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर
2. श्री राजेश मौर्य प्रभारी सर्विलांस सेल
3. श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज
4. श्री विनेश गौतम चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
5. हे0कां0 संदीप यादव (सर्विलांस)
6. कां0 अमित कुशवाहा (सर्विलांस)
7. कां0 ऋषभ (सर्विलांस)
8. कां0 हर्ष तिवारी
9. कां0 अश्वनि उपाध्याय